



**पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर**  
(मध्य प्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के तहत)  
दीक्षा भवन, गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) 462023  
☎ 0755. 2602033.36; Ext. 260,261 वेबसाइट [www.mpcz.co.in](http://www.mpcz.co.in)



क्रमांक / निदेशक / पी.डी.टी.सी. / 1910

भोपाल दिनांक 27/03/17

**विज्ञप्ति**

**स्नातक एवं डिप्लोमा/तकनीकी एप्रेन्टिस के नियोजन बावत**

निदेशक एवं क्षेत्रीय केन्द्रीय एप्रेन्टिसशिप सलाहकार, शिक्षु प्रशिक्षण पश्चिम क्षेत्र मुम्बई द्वारा जारी निर्देशो एवं एक्ट के अनुसार एप्रेन्टिस (संशोधन) एक्ट 1973 एवं 1986 के प्रावधानानुसार म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल के अन्तर्गत शासकीय/अर्ध शासकीय मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग/म.प्र. राज्य के पोलिटेक्निक कालेजों से जून-2014 या इसके बाद में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं में 01 वर्ष के अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जाते हैं।

क्र	स्नातक इन्जीनियरिंग अथवा डिप्लोमा में विषय	स्नातक एप्रेन्टिस (शिष्यवृत्ति रु 4984/- प्रतिमाह)				डिप्लोमा/तकनीकी एप्रेन्टिस (शिष्यवृत्ति रु 3542/- प्रतिमाह)				
		सामान्य	आनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	आनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल
1	सिविल	0	0	1	1	1	0	0	0	1
2	इलेक्ट्रिकल्स/ इलेक्ट्रिकल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स	0	5	9	14	7	1	2	5	15
3	आई.टी	1	1	0	2					
	कुल	1	6	10	17	8	1	2	5	16

**1. पात्रता के मापदंड:-**

(अ) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:

- स्नातक एप्रेन्टिस-विद्युत यांत्रिकी/सिविल यांत्रिकी/आई.टी में जून-2014 या इसके पश्चात स्नातक।
- तकनीकी एप्रेन्टिस-विद्युत यांत्रिकी/सिविल यांत्रिकी में जून-2014 अथवा इसके पश्चात डिप्लोमा।

(ब) पिछला प्रशिक्षण:

- उपरोक्त पदों हेतु उन्ही उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किये जावेगे जिन्होंने अप्रेंटिस एक्ट 1961 यथा संशोधित किसी भी शासकीय/अर्ध-शासकीय/अशासकीय सेस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से पूर्व में प्रशिक्षण नहीं लिया हो।

(स) उम्मीदवारों द्वारा स्नातक/डिप्लोमा हासिल किये 03 वर्ष से कम हो। इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

**2. प्रशिक्षण में आरक्षण:-** अजा./अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षण एप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं यथा संशोधन के प्रावधानों के आधार पर रहेगा।

**3. चयन प्रक्रिया:-** उम्मीदवारों का चयन उनकी शाखा में प्राप्ताकों की प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।

4. **आवेदन करने की प्रक्रिया:-** योग्य इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र कम्पनी के वेब साईट [www.mpcz.co.in](http://www.mpcz.co.in) से डाउनलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 15.04.2017 सांय 05.30 बजे तक निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित छाया प्रतियों सहित तीव्र डाक से अथवा स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. पासपोर्ट साइज फोटो-3 नग।
2. स्टाम्प साइज फोटो-2 नग।
3. 10वीं क्लास/एस.एस.सी./मेट्रिक्युलेशन की अंकसूची।
4. वारहवीं की अंकसूची ।
5. डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र/अंकसूची।
6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
7. शरिरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
9. फोटो आई.डी. का प्रमाण ।

निर्धारित तिथी के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिये म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल की वेब साईट [www.mpcz.co.in](http://www.mpcz.co.in) पर देख सकते हैं।

5. **अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदनों** निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में आगे किसी भी प्रकार का कोई संचार नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (पी.डी.टी.सी) के पास सुरक्षित रहेगा।
7. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो की मेडिकल बोर्ड अथवा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया हो, के आधार पर किया जावेगा।
8. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

**नोट:-** चयनित एप्रेन्टिस को प्रशिक्षण पश्चात् नौकरी की पात्रता नहीं होगी एवं मात्र एक वर्ष का एप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

  
निदेशक (पी.डी.टी.सी)

